मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफः 11-15/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडला/स्वायंत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को देय सुविधा ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 11/20/004/नियम/चार, दिनांक 24-12-2004.

--•••--

राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायंत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार, दिनांक 4-2-2006 एवं विधि द्वारा स्थापित आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए परिपत्र क्रमांक एफ 11-2/2007/नियम/चार दिनांक 20-4-2007 के परिशिष्ट अनुसार दो दूरभाष (कार्यालय में एक एवं निवास में एक) की पात्रता है ।

2/ वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप के अनुसार विभिन्न अधिकारियों को मोबाईल दूरभाष उपयोग की सहमति तथा ₹ 750/- प्रतिमाह की सीमा तक मोबाईल दूरभाष व्यय की पात्रता निर्धारित की गयी है ।

3/ वर्तमान में मोबाईल दूरभाष की बढ़ती उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के विभिन्न सार्वजनिक

उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा पूर्व में स्वीकृत दो landline दूरभाष के स्थान पर एक landline दूरभाष तथा ₹ 750/- प्रतिमाह की सीमा तक एक मोबाईल दूरभाष का उपयोग किया जा सकेगा । यह भी निर्णय लिया गया है कि पूर्व से स्थापित एक दूरभाष (land line) एवं मोबाईल दूरभाष के मासिक व्यय की पात्रता की पृथक-पृथक गणना न करते हुए मासिक व्यय सीमाओं को जोड़कर दोनों दूरभाषों के लिए एकीकृत मासिक व्यय सीमा निर्धारित की जा सकेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

SUNITA Prajapati 2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-15/2014/नियम/चार 　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग